

**The court of D.A.S.J. 1<sup>st</sup>, Jamui**  
**Case no-ST 91/2019**

**22.04.2026** एकमात्र अभियुक्त अली हुसैन अनुपस्थित है। अभिलेख में नियत तिथि होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि एकमात्र अभियुक्त अली हुसैन का देहांत हो चुका है। अतः इस वाद की अग्रिम कार्यवाही बंद करते हुये इस अभिलेख का निस्तारण किया जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त अली हुसैन के विरुद्ध निर्गत अजमानतीय अधिपत्र का तामिला थाना गरही से प्राप्त हुआ है। जिसका डी0आर0 संख्या 1558/2025 दिनांक 04.12.2025 तथा आर0 99/2025 दिनांक 14.06.2025 से विदित होता है कि अली हुसैन की मृत्यु हो चुकी है एवं तामिला के साथ ग्राम पंचायत राज गरही के मुखिया सबाना खातुन का उसके लैटर पैड में प्रतिवेदन है, जिसके अनुसार कथन किया गया है कि अली हुसैन की मृत्यु दिनांक 14.02.2023 को अपने निवास स्थान ग्राम देवलाटांड में हुआ है। अपने इस तामिला प्रतिवेदन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथन के आलोक में एकमात्र अभियुक्त अली हुसैन की मृत्यु के कारण इस मामले में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,  
जमुई।

**The court of D.A.S.J. 1<sup>st</sup>, Jamui**  
**Case no- ST 238/2024**

**12.02.2026** काराधीन दोषी नरेश यादव को कारा से प्रस्तुत किया गया। अभिलेख आज सजा के बिंदु पर सुनवायी हेतु नियत था। दोषी नरेश यादव को उसके द्वारा किये गये अपराध कृत्य, जो भा0द0वि0 की धारा 354 के अंतर्गत दण्डनीय है, के लिये 3 वर्ष 1 माह के सादा कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है। यह अर्थ दण्ड अदा नहीं किये जाने पर दोषी को अतिरिक्त रूप से 15 दिन के सादे कारावास की सजा भोगनी होगी। कारावास की इस सजा में विचारण के दौरान भोगी गयी सजा को समायोजित (Set off) किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई प्रेषित करे ताकि पीड़िता नीतू कुमारी, जिस पर आपराधिक हमला हुआ है तथा जो अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार मंदबुद्धि एवं स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है, को सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,  
जमुई।